

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या-3/स्था0 भू0सु0उ0स0(शक्ति)-07/2018-

(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-

विभागीय अधिसूचना सं0-349(3)/रा0, दिनांक-29.06.2018 द्वारा किये गये स्थानांतरण के फलस्वरूप भूमि सुधार उप समाहर्ता, वीरपुर का पद रिक्त होने के कारण समाहर्ता, सुपौल के आदेश ज्ञापांक-606-2/स्था0, दिनांक-27.07.2018 द्वारा श्री सुभाष कुमार, बि0प्र0से0, अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर को भूमि सुधार उप समाहर्ता, वीरपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

2. भूमि सुधार उप समाहर्ता, वीरपुर के पद पर किसी पदाधिकारी के पदस्थापन होने तक श्री सुभाष कुमार, बि0प्र0से0, अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर को भूमि सुधार उप समाहर्ता, वीरपुर के न्यायालय कार्य सहित सभी दायित्वों के निर्वहण हेतु शक्ति प्रदान की जाती है।

3. इसके लिए अलग से कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

4. एतद् सम्बन्धी पूर्व की निर्गत सभी अधिसूचनाएँ इस हद तक संशोधित समझी जाएंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(प्रवीण कुमार झा),

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-3/स्था0 भू0सु0उ0स0(शक्ति)-07/2018-

595 (3)/रा0, पटना-15, दिनांक-26/11/18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार,

पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, कोसी प्रमंडल, सहरसा/समाहर्ता, सुपौल/संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रवीण कुमार झा),

सरकार के विशेष सचिव।